आर.ई.ओ– 205

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई)

क्र.जे.पी.डी / उप मु.अ.(आर.ई एण्ड प्लान) / अ.अ / (आर.ई.)प.1201 / प्रे 2757 दिनांक 20/3/09

आदेश

विषय :– वर्ष 2009–10 में कृषि कनेक्शन जारी करने के कम में।

राज्य सरकार ने आदेश संख्या एफ 12(16) उर्जा / 04 दि. 09.02.09 के द्वारा 1 अप्रैल 03 से 31 दिसम्बर 2007 तक के सामान्य कृषि श्रेणी विचाराधीन आवेदकों को वर्ष 2009–10 में मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त नये कृषि कनेक्शन जारी करने के लिए पूर्व वर्ष की भाँति निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये जाते हैं :–

1. मांग पत्र जारी करना

(i) उपरोक्त में से 50 प्रतिशत आवेदकों के मांग पत्र 15 अप्रैल 2009 से 30 अप्रैल 2009 तक जारी किये जावेंगे तथा शेष आवेदकों के मांग पत्र 15 जुलाई 2009 से 31 जुलाई 2009 तक जारी किये जावेंगे।

(ii) सभी श्रेणीयों के लिये मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिये सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समीति की मीटिंग एवं चौपालों में विस्तृत जानकारी दे दी जावे।

(iii) समस्त अनुसूचितजाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के स सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदक जिन्हें तुरन्त प्राथमिकता के आधार कनेक्शन देय है, के मांग पत्र तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर जारी किये जायेगे।

2. प्राथमिकता

कृषि कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार ही दी जायेगी, न कि मांग पत्र जमा की तारीख के अनुसार।

3. कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य

15 अपैल 2009 से 30 अपैल 2009 तक जारी किये गये मांग पत्रों के कुल आवेदकों की जमा राशि के 1/3 कनेक्शन अगस्त में 1/3 सितम्बर में तथा 1/3 अक्टूबर 09 में किये जायेंगे इसी प्रकार 15 जुलाई 09 से 31 जुलाई 09 तक जारी मांग पत्रों के कुल जमा राशि के 1/3 नवम्बर, 1/3 दिसम्बर 09 एवं 1/3 जनवरी 2010 में कनेक्शन जारी किये जायेंगे।

4. कनेक्शन के लिये सामान की ढुलाई

कृषि कनेक्शन के लिये जरूरी सामान की ढुलाई का कार्य निगम द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मांग पत्र में 1500 रू अतिरिक्त चार्ज किये जावेंगे। यदि आवेदक अपने खर्चे पर सारे सामान की ढुलाई का कार्य स्वंय करना चाहता हो तो उससे सामान की ढुलाई की राशि चार्ज नहीं की जायेगी।

5. लाईन एवं सब–स्टेशन लगाने के कम में

कृषि कनेक्शन हेतु 11 के.वी. लाईन तथा 11/.4 के.वी. सब–स्टेशन लगाने का कार्य निगम द्वारा निर्धारित सी.एल.आर.सी रेट पर कराया जायेगा एवं यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि लाईन व सब–स्टेशन खडी करने में अच्छी गुणवत्ता बनी रहे, समय पर सामान की ढुलाई का कार्य एवं कृषक को बिना असुविधा के कृषि कनेक्शन जारी हो।

उपरोक्त आदेश तीनो वितरण निगमो पर लागू होगे।

20/3/09

उप मुख्य अभियंता (आर.ई एण्ड प्लान)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।

2–प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.जोधपुर को उक्त प्रकार के आदेश जारी करने हेतु ।